महत्वपूर्ण

संख्या-80/2017/2207/92-1-2017-72एम/2017

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2017

विषयः- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंताओं की विकास खण्डों में तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-253/ग्रा0अ0वि0/स्था0-3/अव0अभि0/डि0इं0सं0 /2017-18, दिनांक 26-7-2017 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 26-7-2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त सरलीकरण के दृष्टिगत विकास खण्डों में अवर अभियंताओं की तैनाती का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी/अधीक्षण अभियंता के स्थान पर स्वतंत्र रूप से अधिशासी अभियंता को प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1836/62-3-2009-30आरईएस/09, दिनांक 26 जून, 2009 का प्रस्तर-1 में प्राविधानित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

3- कृपया उक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-80/2017/2207(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in